भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU
संयोजक : सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी-180 001 (भारत)
CONVENOR: CSIR- Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi – 180 001 (INDIA)
दूरभाष : (0191) 2585006-13; फैक्स (0191) 2586333, 2585026. Phones : (0191) 2585006-13; Fax : (0191) 2586333, 2585026.
E-mail: ramasharma@iiim.ac.in; Website www.tolicjammu.org

CSIR-IIIM

संख्या/No: नराकास/जम्मू/बैठक/2016-रा.भा. दिनांक/Dated: 19 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवाद।

विषय:-**दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक का कार्यवृत्त।**

Subject:- **Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 30 Novmber, 2016.**

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं ।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव समिति कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें ।

Sir/ Madam,

The minutes of the half yearly meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 30th November, 2016 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to take necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/suggestions, if any may be intimated to this office with in two weeks.

धन्यवाद/Thanks

भवदीय,

रमा शर्मा
(डॉ. रमा शर्मा)
सदस्य-सचिव

संलग्नः- यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त ।

प्रतिलिपिः-

1. नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति, जम्मू के कार्यालयाध्यक्ष,
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), उत्तर, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान परिषद्, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
4. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-03
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
6. भारत की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्याः नराकास/जम्मू/बैठक/2015-16/राभा. दिनांकः 02.12.2016

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को सायं 3.00 बजे सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2016 (बुधवार) को अपराह्न 3.00 बजे सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा ने की। इस अवसर पर श्री देवेन्द्र कुमार गौतम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एयरपोर्ट, जम्मू, श्री संजय डाबी, श्रमायुक्त, कार्यालय (केन्द्रीय), गांधी नगर, जम्मू, श्रीमती शाश्वती बंद्योपाध्याय जी, प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू एवं नराकास के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के सभी कार्यालयाध्यक्ष/नोडल अधिकारी/प्रशासनिक प्रमुख/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालयप्रमुखों एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत डॉ. रमा शर्मा, हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में सभी मंचस्थ एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनन्दन किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरम्भ की एवं गत बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। बैठक में प्रथम अप्रैल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के दौरान सभी सदस्य कार्यालयों के हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों में हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास करना तथा जम्मू क्षेत्र को राजभाषा की प्रगति की ओर अग्रसर करने की दिशा में रहा ।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सदस्य-सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पर गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

तदुपरान्त प्रथम अप्रैल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की स्थिति इस प्रकार हैः-

प्रथम अप्रैल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के दौरान प्राप्त दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टो की समीक्षाः

केन्द्रीय कार्यालय

1. सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाब, जम्मू
2. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जम्मू
3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
4. क्षेत्रीय आयुर्वेदीय मूत्र विकार अनुसंधान संस्थान, बनतालाब, जम्मू
5. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
6. कार्यालय महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू सेक्टर, बनतालाब, जम्मू
7. कार्यालय कमाण्डेंट-126 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रियासी
8. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाब, जम्मू
9. कार्यालय कमाण्डेंट-163 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मार्फत-56 एपीओ, जम्मू
10. कार्यालय महानिरीक्षक (चिकित्सा)/चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतालाब, जम्मू
11. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (नगरोटा), जम्मू
12. कार्यालय कमाण्डेंट-06 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अर्ली रोड, कटरा, जम्मू
13. कार्यालय कमाण्डेंट-116 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मार्फत-56 एपीओ, जम्मू
14. कार्यालय कमाण्डेंट-166 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, न्यू.पी.सी.आर कैंप, सिदड़ा, जम्मू
15. कार्यालय क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जम्मू
16. केन्दीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधी नगर, जम्मू
17. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जम्मू
18. कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू
19. 23 विंग वायु सेना द्वारा मार्फत 56 सेना डाकघर, जम्मू
20. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू
21. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू
22. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, बाहुप्लाजा, रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू
23. कार्यालय छावनी परिषद, जम्मू
24. कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, जम्मू व कश्मीर सर्किल, जम्मू
25. भारतीय समवेत औषध संस्थान, केनाल रोड, जम्मू
26. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, आँकड़ा केन्द्र, जम्मू
27. कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू व कश्मीर, जम्मू
28. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, जम्मू
29. रेशम अनुकूलन एवं परीक्षण गृह, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, मीरासाहिब, जम्मू
30. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सैनिक कालोनी, जम्मू
31. कोयला खान भविष्य निधि संगठन, शक्ति नगर, जम्मू
32. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, औद्योगिक बस्ती, डिग्यिाना, जम्मू
33. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, रेडियो कॉलोनी, पंजतीर्थी, जम्मू
34. भारतीय खाद्य निगम, रेल हेड, जम्मू
35. अशोक होटल, जम्मू
36. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जम्मू

37. प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
38. प्रसार भारती, रेडियो कश्मीर, जम्मू
39. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, गाँधी नगर, जम्मू
40. मंडल यातायात प्रबंधक, उत्तरी रेलवे, जम्मू
41. सेक्टर हेडक्वाटर, सीमा सुरक्षा बल, पलौड़ा कैम्प, जम्मू
42. केन्द्रीय विद्यालय भद्रवाह, डोडा, जम्मू
43. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, कोट भलवाल, जम्मू

बैंक

44. भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू
45. पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू
46. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू

उपक्रम/निगम

47. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेरिटरी, जम्मू
48. मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल., जम्मू व कश्मीर परिमंडल, जम्मू
49. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड भवन, जम्मू
50. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल विमान क्षेत्र, जम्मू
51. एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडीए कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नरवाल, जम्मू
52. एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, दुलहस्ती पावर स्टेशन, किश्तवाड़, जम्मू
53. एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम्

मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान कार्रवाई सुनिश्चित् करवाने के उद्देश्य से सदस्यों को जानकारी दी।

1. जहां भाषा प्रशिक्षण, टंकण प्रशिक्षण, आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष है - सभी कार्यालध्यक्षों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाएं और इन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलाकर लक्ष्य की प्राप्ति कर ले ।

2. धारा 3(3) का अनुपालन में सदस्य कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर पता चला है कि कार्यालयों में धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है लेकिन निम्न कुछ कार्यालयों ने कुछ कागज़ात केवल अंग्रेजी में जारी करके धारा 3(3) का उल्लंघन किया है।

3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना (100 प्रतिशत)
   प्राप्त रिपोर्टों में पाया गया है कि अधिकांश कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए गए है।

4. मूल पत्राचार (लक्ष्य 55 प्रतिशत)
   प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी कार्यालयों में हिन्दी मूल पत्राचार की स्थिति सन्तोषजनक रहा है।

5. नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन लगभग सभी सदस्य कार्यालय कर रहे है। इनका यह प्रयास सराहनीय है।

6. पत्रिकाओं का प्रकाशन – राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए पत्रिकाओं के प्रकाशन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है: पी.एन.बी., जम्मू की 'त्रिकुटा', आयकर आयुक्त का कार्यालय, जम्मू की 'आयकर शिखर' एवं नराकास, जम्मू समिति कार्यान्वयन की 'ज्ञानवार्ता' पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाले कार्यालयों का यह प्रशंसनीय कार्य है।
7. हिन्दी पदों की स्थिति – नराकास के सदस्य-कार्यालयों से यह भी अनुरोध है कि हिन्दी से सम्बन्धित सभी रिक्त पदों को भर लिया जाए। जिन कार्यालयों में हिन्दी पद कई वर्षों से रिक्त पड़े है शीघ्र कार्यवाही कर उन पदों को भरना अनिवार्य है।
8. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए प्राध्यापक, सेक्टर-6, बबलियाना रोड, गंग्याल, जम्मू-180010 से सम्पर्क करें।
9. वर्ष 2015-16 में जो कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों ने हिन्दी में अच्छे कार्य किये है उन कार्यालयों के कार्यालयप्रमुखों/राजभाषा अधिकारियों को क्रमशः शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं:-

1. नराकास की बैठकों में केवल कार्यालय प्रमुख द्वारा ही भाग लिया जाए। संबंधित राजभाषा अधिकारी/अनुवादक प्रधान अधिकारियों की मदद के लिए बैठक में आ सकते है।
2. सभी कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टे अपने मुख्यालय (नियंत्रक कार्यालय समिति) नराकास सचिवालय को भेजना सुनिश्चित् करें।
3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्या-1(दिल्ली), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को ऑनलाइन भेजी जाएं। ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के लिए पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की जानकारी हेतु सदस्य कार्यालयों के लिए अल्पावधि की कार्यशाला का संचालन किया जाए।
4. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएं और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाए तथा बैठक की पूर्व सूचना तथा कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाएं।
5. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाए जाएं और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मियों से हिन्दी में काम करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. नराकास स्तर पर तिमाही में किसी एक कार्यालय द्वारा हिन्दी कार्यक्रम/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को नराकास की अगली बैठक में पुरस्कृत किया जाए। नराकास द्वारा अपनी एक हिन्दी गृह पत्रिका भी निकाली जाए, जिसके लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य कार्यालय से एक निश्चित अंशदान वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है।
8. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विहित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।
9. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जाना अपेक्षित है।
10. कार्यालय द्वारा स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञापन द्विभाषी अथवा त्रिभाषी अर्थात् अपने राज्य की भाषा में जारी किए जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर समान खर्च किया जाए।
11. सदस्य कार्यालयों से यह भी आग्रह है कि अपने साइन बोर्ड भी त्रिभाषी बनवाएं - इन बिन्दुओं पर सभी उपस्थित कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की।

अपने अध्यक्षीय भाषण में नराकास अध्यक्ष महोदय ने अत्यन्त प्रभावी रूप में कार्यालय-प्रमुखों से अपने-अपने कार्यालयों में अधिकांशत: सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए समर्पित होने की जरूरत है तथा अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों के पते में कोई परिवर्तन हो जाए तो वे कार्यालय इसकी सूचना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय को अवश्य दें ताकि कार्यालयों की सूची समय-समय पर संशोधित कर अद्यतन रखी जा सके। एतदर्थ सूचना टॉलिक यानि नराकास की वेबसाइट www.tolicjammu.org पर भी दी जा सकती है।

अन्त में संस्थान के श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया और बैठक सम्पन्न हुई ।

राम विश्वकर्मा

डॉ. राम विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

रमा शर्मा

डॉ. रमा शर्मा
सदस्य-सचिव
नराकास, जम्मू